पत्र संख्या-विधि-4(1)-विज्ञप्ति भाग-3(10-11)/ 578/10।।020 / वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: जून 9 ,2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

शासकीय विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-485/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश- (60)-2010, दिनांक 13-5-2010 द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-1771/ग्यारह-9(1)/2004-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(19)-2004, दिनांक 5-7-2004 को अधिक्रमण करते हुए यह आदेश निर्गत किया गया कि दिनांक 13-5-2010 से समय-समय पर यथासंशोधित राज्य ऊर्जा नीति 2003 के अधीन उत्पादन (नवीन क्षमता और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसकी कुल पूंजी निवेश, नीति अवधि के भीतर अर्थात् 31 मार्च 2009 तक एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक की हो, अन्य व्यवहारियों के ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर कर के संदाय के दायित्व के लिए दायी होने के लिए अनुज्ञा देते हैं, यदि ऐसे मालों का विक्रय अन्ततः ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाये कि ऐसी इकाई,ऐसे व्यवहारियों को ऐसे प्रपत्र में जैसा कि कमिश्नर द्वारा अवधारित किया जाये, घोषणा पत्र जारी करें।

स्पष्टीकरण - कमिश्नर द्वारा अवधारित प्रपत्र में इकाई द्वारा जारी घोषणा 01 जनवरी 2008 से प्रारम्भ होने वाली और इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किये गये तथा अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1771/ग्यारह-9(1)/2004-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(19)-2004, दिनांक 5-7-2004 से आच्छादित सम्व्यवहारों के लिए भी लागू होगी।

अत उपर्युक्त विज्ञप्ति के प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र के लिए फार्म एफ निर्धारित किया जाता है जिसका प्रारुप इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। उक्त फार्म एफ के रख-रखाव एवं प्रयोग की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

1– इस फार्म–एफ पर अधिकतम एक कलैण्डर माह के संव्यवहार अंकित किये जायेगें।

2– यह फार्म–एफ प्रत्येक वर्ष कमांक 0001 से प्रारम्भ होगा तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिये कमांकित रहेगा तथा बाईण्डेड बुक में रखा जायेगा। क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं यह फार्म "ए–4" साईज में प्रिन्ट करवाया जाएगा ।

3– यह फार्म–एफ तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा। मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को जारी किया जायेगा तथा प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।

4– विक्रेता द्वारा फार्म–एफ की मूल प्रति करनिर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत की जायेगी तथा द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।

5– फार्म–एफ जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा तथा कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा फार्म–एफ की मूल प्रति पर ईई–सीरीज के टिकट लगा कर प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6– इस फार्म–एफ पर हस्ताक्षर केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32(6) में है अथवा जो टैक्स इनवाइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है।

7– क्रेता व्यापारी द्वारा प्रयुक्त किये गये फार्म–एफ का विवरण (जिसमें फार्म–एफ का क्रमांक, विक्रेता का नाम/पता जिसे फार्म–एफ जारी है, माल का विवरण, इन्वाइस संख्या/दिनांक, मूल्य का विवरण अंकित हो) कार्यालय में प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अगले क्रमागत फार्म–एफ पर प्रतिहस्तक्षरित किया जायेगा।

अत: आपको निर्देश दिये जाते हैं कि फार्म एफ के प्रारुप तथा इसके रख-रखाव के बारे में समस्त अधिकारियों के साथ साथ अपने जोन में कार्यरत समस्त व्यापारिक संघों, चार्टड एकाउन्टेण्ट संघों आदि को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें और इसकी प्रतियॉ समस्त औद्योगिक इकाईयों को भी प्रयोग करायें जो इनका प्रयोग करती हों।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(चन्द्र भानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म – एफ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित नियमावली,2008

(विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–485/ग्यारह–9(1)/08 उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश(60)–2010 दिनांक 13–05–2010 देखें)

उत्पादन (नवीन छमता और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई द्वारा माल के विकेता को दिया जाने वाला घोषणा–पत्र

(मूल प्रति–कर निर्धारण प्राधिकारी के लिए)

कम संख्या .....

1–	ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई का नाम व पता																						
2–	टिन												प्रभावी तिथि										
3–	करनिर्धारण वर्ष																						

खरीद का विवरण

माह .....

4–	विकेता का नाम व पता																						
5–	टिन												प्रभावी तिथि										

क0 सं0	सेल इनवाइस/ टैक्स इनवाइस का कमांक व तिथि	वस्तु का नाम	कर की दर	मात्रा	विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
				योग :	

नोट:– उक्त प्रारूप मे स्थान कम होने पर इस घोषणा–पत्र के पृष्ठ भाग पर उक्त प्रारूप में ही विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है।

घोषणा

मै ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... प्रास्थिति ..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा–पत्र में दी गयी सूचनाएं मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है तथा मेरी इकाई उक्त खरीदों पर विकेता के एवज् में प्रवेश कर का दायित्व स्वीकार करती है।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

स्थान .....

तिथि .....

मुहर .....

नोट : फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रकिया :–

1– इस फार्म–एफ पर अधिकतम एक कलैण्डर माह के संव्यवहार अंकित किये जायेगें।

2– यह घोषणा–पत्र प्रत्येक वर्ष कमांक 0001 से प्रारम्भ होगा तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिये कमांकित रहेगा तथा बाईण्डेड बुक में रखा जायेगा। केता व्यापारी द्वारा स्वयं यह फार्म "ए–4" साईज में प्रिन्ट करवाया जाएगा ।

3– यह घोषणा–पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा। मूल/द्वितीय प्रति विकेता को जारी किया जायेगा तथा प्रतिपर्ण केता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।

4– विकेता द्वारा फार्म की मूल प्रति करनिर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत की जायेगी तथा द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।

5– फार्म–एफ जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा तथा कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा फार्म–एफ की मूल प्रति पर ईई–सीरीज के टिकट लगा कर प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6– इस फार्म–एफ पर हस्ताक्षर केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32(6) में है अथवा जो टैक्स इनवइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है।

7– केता व्यापारी द्वारा प्रयुक्त किये गये फार्म–एफ का विवरण (जिसमें फार्म–एफ का कमांक, विकेता का नाम/पता जिसे फार्म–एफ जारी है, माल का विवरण, इन्वाइस संख्या/दिनांक, मूल्य का विवरण अंकित हो) कार्यालय में प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अगले कमागत फार्म–एफ पर प्रतिहस्तक्षरित किया जायेगा।

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म – एफ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित नियमावली,2008

(विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–485/ग्यारह–9(1)/08 उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश(60)–2010 दिनांक 13–05–2010 देखें)

उत्पादन (नवीन छमता और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई द्वारा माल के विकेता को दिया जाने वाला धोषणा–पत्र

(द्वितीय प्रति – विकेता व्यापारी के लिए)

कम संख्या .....

1–	ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई का नाम व पता																							
2–	टिन													प्रभावी तिथि										
3–	करनिर्धारण वर्ष																							

खरीद का विवरण

माह .....

4–	विकेता का नाम व पता																							
5–	टिन													प्रभावी तिथि										

क0 सं0	सेल इनवाइस/ टैक्स इनवाइस का कमांक व तिथि	वस्तु का नाम	कर की दर	मात्रा	विकय मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
				योग :	

नोटः– उक्त प्रारूप मे स्थान कम होने पर इस घोषणा–पत्र के पृष्ठ भाग पर उक्त प्रारूप में ही विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है।

घोषणा

मै ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... प्रास्थिति ..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा–पत्र में दी गयी सूचनाएं मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है तथा मेरी इकाई उक्त खरीदों पर विकेता के एवज् में प्रवेश कर का दायित्व स्वीकार करती है।

स्थान .....
तिथि .....
मुहर .....

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

नोट : फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रकिया :–

1– इस फार्म–एफ पर अधिकतम एक कलैण्डर माह के संव्यवहार अंकित किये जायेगें।

2– यह घोषणा–पत्र प्रत्येक वर्ष कमांक 0001 से प्रारम्भ होगा तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिये कमांकित रहेगा तथा बाईण्डेड बुक में रखा जायेगा। केता व्यापारी द्वारा स्वयं यह फार्म "ए–4" साईज़ में प्रिन्ट करवाया जाएगा ।

3– यह घोषणा–पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा। मूल/द्वितीय प्रति विकेता को जारी किया जायेगा तथा प्रतिपर्ण केता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।

4– विकेता द्वारा फार्म की मूल प्रति करनिर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत की जायेगी तथा द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।

5– फार्म–एफ जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा तथा कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा फार्म–एफ की मूल प्रति पर ईई–सीरीज के टिकट लगा कर प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6– इस फार्म–एफ पर हस्ताक्षर केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32(6) में है अथवा जो टैक्स इनवइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है।

7– केता व्यापारी द्वारा प्रयुक्त किये गये फार्म–एफ का विवरण (जिसमें फार्म–एफ का कमांक, विकेता का नाम/पता जिसे फार्म–एफ जारी है, माल का विवरण, इन्वाइस संख्या/दिनांक, मूल्य का विवरण अंकित हो) कार्यालय में प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अगले कमागत फार्म–एफ पर प्रतिहस्तक्षरित किया जायेगा।

द्वारा अगले कमागत फार्म–एफ पर प्रतिहस्तक्षरित किया जायेगा।

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर, नाम व मुहर सहित

फार्म – एफ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित नियमावली,2008

(विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–485/ग्यारह–9(1)/08 उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश(60)–2010 दिनांक 13–05–2010 देखें)

उत्पादन (नवीन छमता और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई द्वारा माल के विक्रेता को दिया जाने वाला धोषणा–पत्र

(प्रतिपर्ण – क्रेता व्यापारी के लिए)

क्रम संख्या .....

1–	ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई का नाम व पता																							
2–	टिन												प्रभावी तिथि											
3–	करनिर्धारण वर्ष																							

खरीद का विवरण

माह .....

4–	विक्रेता का नाम व पता																							
5–	टिन												प्रभावी तिथि											

क्र0 सं0	सेल इनवाइस/ टैक्स इनवाइस का क्रमांक व तिथि	वस्तु का नाम	कर की दर	मात्रा	विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
				योग :	

नोटः– उक्त प्रारूप मे स्थान कम होने पर इस घोषणा–पत्र के पृष्ठ भाग पर उक्त प्रारूप में ही विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है।

घोषणा

मै ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... प्रास्थिति ..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा–पत्र में दी गयी सूचनाएं मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है तथा मेरी इकाई उक्त खरीदों पर विक्रेता के एवज् में प्रवेश कर का दायित्व स्वीकार करती है।

स्थान .....
तिथि .....
मुहर .....

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

नोट : फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रकिया :–

1– इस फार्म–एफ पर अधिकतम एक कलैण्डर माह के संव्यवहार अंकित किये जायेगें।

2– यह घोषणा–पत्र प्रत्येक वर्ष क्रमांक 0001 से प्रारम्भ होगा तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिये क्रमांकित रहेगा तथा बाईण्डेड बुक में रखा जायेगा। क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं यह फार्म "ए–4" साईज में प्रिन्ट करवाया जाएगा ।

3– यह घोषणा–पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा। मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को जारी किया जायेगा तथा प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।

4– विक्रेता द्वारा फार्म की मूल प्रति करनिर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत की जायेगी तथा द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।

5– फार्म–एफ जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा तथा कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा फार्म–एफ की मूल प्रति पर ईई–सीरीज के टिकट लगा कर प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6– इस फार्म–एफ पर हस्ताक्षर केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32(6) में है अथवा जो टैक्स इनवइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है।

7– क्रेता व्यापारी द्वारा प्रयुक्त किये गये फार्म–एफ का विवरण (जिसमें फार्म–एफ का क्रमांक, विक्रेता का नाम/पता जिसे फार्म–एफ जारी है, माल का विवरण, इन्वाइस संख्या/दिनांक, मूल्य का विवरण अंकित हो) कार्यालय में प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अगले क्रमागत फार्म–एफ पर प्रतिहस्तक्षरित किया जायेगा।